

बिहार सरकार

प्राचार्य का कार्यालय

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर

संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन

डायलिसीस टेकनिशियन के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर चयन हेतु Walk in Interview की सूचना

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 74(2) दिनांक - 25.01.2017 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में रिक्त डायलिसीस टेकनिशियन (Dialysis Technician) के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर चयन हेतु Walk-in-Interview (चलन्त साक्षात्कार) आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त नियुक्ति हेतु निम्न विवरणी के अनुसार डायलिसीस टेकनिशियन (Dialysis Technician) के पद के लिये योग्य अभ्यर्थी क्रमवार दिनांक - 20.06.2017 को प्राचार्य कार्यालय में Walk-in-Interview (चलन्त साक्षात्कार) में भाग लेंगे।

डायलिसीस टेकनिशियन (Dialysis Technician) के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता :-

- 1) इन्टमीडिएट विज्ञान में अभ्यर्थी।
 - 2) भारत सरकार/बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से Diploma in Dialysis Technician में उत्तीर्णता।
 - 3) दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त योग्यता मान्य नहीं होगी।
 - 4) उच्चतर डिग्री (बी.एस.सी./एम.एस.सी) के प्राप्तांक।
 - 5) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव।
- डायलिसीस टेकनिशियन के पद के लिए आयु सीमा पहली अगस्त 2017 को 21 वर्ष होगी एवं चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी। (सिवा निवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले)

Walk-in-Interview (चलन्त साक्षात्कार) के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की दो प्रति में अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल प्रति साथ में रखेंगे।

- 1) मैट्रिक का प्रमाण पत्र
- 2) इन्टरमीडिएट विज्ञान का प्रमाण-पत्र
- 3) भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित कोर्स में उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र
- 4) उच्चतर डिग्री हो तो प्रमाण-पत्र
- 5) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों के कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र
- 6) जाति प्रमाण-पत्र
- 7) अद्यतन आवासीय प्रमाण-पत्र
- 8) चरित्र प्रमाण-पत्र
- 9) फोटोग्राफ-3 प्रति में
- 10) सभी परीक्षाओं का अंक पत्र

रोस्टर बिन्दु के अपरूप रिवितयों डायलिसीस टेकनिशियन के लिए:-

रिवत पद - 06

1) अना0	-	03
2) अ0 पि0	-	01
3) पिछड़ा	-	01
4) अ0 जा0	-	01

मानदेय - 18500/- प्रतिमाह (सरकार के द्वारा यथा संशोधित मानदेय)

चयन की शर्त:-

- 1) संविदा नियुक्ति एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिए अनुमान्य होगा। यदि एक वर्ष तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तो इसे अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जायेगा।
- 2) संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 3) संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय इस आशय के साथ Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।
- 4) संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा। बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें निधारित अवधि के लिए कार्य करने हेतु अनुबंध किया जायेगा। विज्ञापन संबंधि जानकारी के लिए कॉलेज वेबसाइट www.skmedicalcollege.org पर देखा जा सकता है।

समय- 10 बजे पूर्वाह्न से संध्या-05 बजे तक

सू.ज.स.वि. 2549 (स्वा0) 17-18 बिहार

प्राचार्य